



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267627
CG-DL-E-13112025-267627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5005]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 5005]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5174(अ).— भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक व्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, तांबा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 को वापस लेती है, और उक्त प्रयोजनार्थ, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. संख्या 3847(अ.), तारीख 31 अगस्त, 2023 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 अगस्त, 2023 में प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 02/19/2023-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF MINES
ORDER

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5174(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby withdraws the Copper (Quality Control) Order, 2023, and for the said purpose, rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Mines issued *vide* number S.O. 3847(E), dated the 31st August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st August, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 02/19/2023-ES]

SHAKIL ALAM, Economic Advisor



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267651
CG-DL-E-14112025-267651

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5010]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 5010]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5179(अ).—चूंकि भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यह राय रखते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, और भारतीय मानक व्यूरो के परामर्श से, मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश को मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025 कहा जाएगा।
(2) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 में, पैरा 1 के उप-पैरा (2) में शब्दों "आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद", जिन्हें मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 के तहत संशोधित करके "1 सितंबर,

2026 को" किया गया था, के लिए "ऐसी तारीख से जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 9/28/2019-एचई एंड एमटी]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश, अर्थात् मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3649(अ), दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

इसके अलावा, आदेश को मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सार्वत्रिक तकनीकी विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 के माध्यम से अधिसूचना संख्या का.आ. 2579(अ) दिनांक 12 जून, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5179(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, and in consultation with the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order to amend the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024, namely:—

- (1) This Order may be called the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Second Amendment Order, 2025.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- In the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024, in Paragraph 1, sub-Paragraph (2) the words "after one year from the date of its publication in the Official Gazette", which were amended to "on the 1st September, 2026" vide Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Amendment Order, 2025, the words "from such date as may be notified by the Central Government in the Official Gazette" shall be substituted.

[F. No. 9/28/2019-HE&MT]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

Note: The principal Order, namely, the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 3649(E), dated the 28th August, 2024. Further the order was amended through the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Amendment Order, 2025 vide Notification No. S.O. 2579(E) dated 12th June 2025.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267454
CG-DL-E-07112025-267454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4883]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/ कार्तिक 15, 1947

No. 4883]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

विषय: विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 तथा समय-समय पर किए गए उसके संशोधनों के आगामी चरणों के कार्यान्वयन को स्थगित करने के संबंध में।

का.आ. 5038(अ).— जबकि भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं.अ. 1896(ई), दिनांक 3 मई, 2024 द्वारा जारी विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2024 के अनुसरण में, तथा अधिसूचना सं.अ. 2007(ई), दिनांक 5 मई, 2025 द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा के विस्तार की निरंतरता में, यह आदेश किया जाता है कि उक्त आदेश की सारणी में निर्दिष्ट सभी उत्पाद श्रेणियों की प्रवर्तन तिथि, अनुक्रमांक 1.1(क) में उल्लिखित तथा 10 नवम्बर, 2024 से पहले ही प्रवर्तित श्रेणियों को छोड़कर, आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

[फा. सं. 8(1)/2018-एचईआई- भाग (1)]
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश, अर्थात् “विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020” भारत राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. स.ओ. 4044(ई), दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। इसके उपरांत प्रवर्तन की समय-सीमा में विस्तार अधिसूचना संख्याओं स.ओ. 4492(ई), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021; स.ओ. 5083(ई), दिनांक 28 अक्टूबर, 2022; तथा स.ओ. 2007(ई), दिनांक 5 मई, 2025 द्वारा प्रदान किया गया।

तत्पश्चात्, उक्त आदेश में संशोधन “विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2023” अधिसूचना सं. स.ओ. 2132(ई), दिनांक 9 मई, 2023 तथा “विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2024” अधिसूचना सं. स.ओ. 1896(ई), दिनांक 3 मई, 2024 के माध्यम से किया गया था।

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
ORDER**

New Delhi, the 6th November, 2025

Subject: Deferment of upcoming phase implementation of the Electrical Equipment (Quality Control) Order 2020 and subsequent amendments from time to time-reg.

S.O. 5038(E).— Whereas in exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in pursuance of the Electrical Equipment (Quality Control) Second Amendment Order, 2024, published in the Gazette of India vide Notification No. S.O. 1896(E), dated the 3rd May, 2024, and in continuation of the extension of timelines provided vide Notification No. S.O. 2007(E), dated the 5th May, 2025, the Central Government hereby orders that the date of enforcement for all product categories specified in the Table to the said Order except those mentioned at Sr. No. 1.1(a), which have already been implemented on the 10th November, 2024, shall stand deferred until further orders.

[F. No. 8(1)/2018-HEI-Part(1)]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

Note.- —The principal Order, namely, the Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 4044(E), dated the 11th November, 2020. Subsequent extensions in timelines were granted vide notification numbers S.O. 4492(E), dated the 18th October, 2021, S.O. 5083(E), dated the 28th October, 2022 and S.O. 2007(E), dated the 5th May 2025.

Further, the Order was amended through the Electrical Equipment (Quality Control) Amendment Order, 2023 vide S.O. 2132(E), dated the 9th May, 2023, and the Electrical Equipment (Quality Control) Second Amendment Order, 2024 vide S.O. 1896(E), dated the 3rd May, 2024.